अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःअनु.जाति / जनजाति / प्रकोष्ठ / 2016 / 1209 दिनांक 16/03/16

प्रति,
प्राचार्य,
जीवाजी विश्वविद्यालय नोडल से संबंधित
समस्त अशासकीय महाविद्यालय

विषय – सत्र 2015–16 के समस्त छात्रवृति आवेदन पत्र शीघ्र इस नोडल की ओर भेजने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) जिला ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक पृ.क्र. / छात्रवृति / 03 / 2015–16 / 1554 ग्वालियर दिनांक 15.03.2016 के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि सत्र 2015–16 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं की छात्रवृति के संबंध में यदि आपके महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ हो तो आज ही समिति से निरीक्षण कराकर, छात्रवृति आवेदन पत्र सभी अनिवार्य प्रपत्रों के साथ दिनांक 18.03.2016 तक छात्रवृति प्रकोष्ठ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर अतिआवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, जिससे कि छात्र / छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृत की जा सके। अपूर्ण एवं गलत प्रपत्रों के कारण छात्रवृति स्वीकृति में यदि बिलम्ब होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

प्रभारी
एस.सी. / एस.टी प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि –
1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, अनु.जाति / जनजाति / प्रकोष्ठ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी
एस.सी. / एस.टी प्रकोष्ठ

कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) जिला ग्वालियर

(कक्ष क.122 से 124 तक पुरानी कलेक्ट्रेट गोरखी लश्कर ग्वालियर फोन. 2458680 ईमेल-adbmwgwa@mp.gov.in

क./छात्रवृत्ति./03/2015-16/ ग्वालियर दिनांक

विषयः- पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2015-16 के संबंध में दिनांक 14/03/16की बैठक का कार्यवाही

--------000--------

पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2015-16 की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 14.03.16 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठक रखी गई, बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है।

1.बैठक में कलेक्टर महोदय ने उपस्थित सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके नोडल केन्द्र से संबंधित सभी अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति प्रपोजल स्पष्ट अनुशंसा सहित दिनांक 20/03/15 के पूर्व कार्यालय सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ग्वालियर में जमा कराए। यदि 20/03/15 के पश्चात कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो नोडल अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, तथा नोडल अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाचं बैठाई जाएगी।

2.नोडल अधिकारी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर ने अवगत कराया की कुछ अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत करने में अनदेखी की जा रही है। इसके संबध में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गए कि एसी संस्थाओं का नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कर दोषी पाएं जाने पर इन संस्थाओं के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।

3.आदर्श विज्ञान महाविद्यालय एवं जीवाजी विश्वविद्यालय से कोई भी अधिकारी बैठक मे उपस्थित नही हुआ जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशा दिये गए।

4.नोडल अधिकारी शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज द्वारा शिकायत की गई कि अशासकीय जैन कॉलेज ग्वालियर द्वारा सहयोग नही किया जा रहा है। इस संबंध मे कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नोडल अधिकारी उक्त संस्था का भौतिक सत्यापन कर जाचं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

5.सभी नोडल अधिकारी अपने नोडल केन्द्र से संबंधित अशासकीय संस्थाओं में छात्रवृति हेतु लॉक किये गये आवेदनों की जानकारी सहायक संचालक पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त करलें तथा 20 मार्च 16 के पूर्व पात्र विद्यार्थियों के प्रपोजल प्रस्तुत करें

6.नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति के आवेदन अनावश्यक रोक कर विलम्ब न करें यदि छात्र पात्र है तो उन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही करें यदि अपात्र है तो निरस्त करें।

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला - ग्वालियर

पृ.क./छात्रवृत्ति./03/2015-16/ 1554 ग्वालियर दिनांक 15/3/016

प्रतिलिपिः-

1.आयुक्त पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. भोपाल।

2.कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर।

3.रजिस्ट्रार/नोडल अधिकारी जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4.अधिष्ठाता/प्राचार्य/नोडल अधिकारी शा. महाविद्यालय ------------------------- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला - ग्वालियर